<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।</u>

<u>Final Report/168/2026</u>

जे०ई० रामायन प्रसाद बनाम हरिनरायन

UPSD010006062026

मु०अ०सं०––736/2023
धारा–135 भा०वि०अधि०
थाना– ए०पी०टी०
जिला– सिद्धार्थनगर।

<u>दिनांक–14.03.2026 (लोक अदालत)</u>

1. पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पुकार करायी गयी। विद्युत विभाग के विशेष अधिवक्ता श्री विनोद कुमार चौधरी उपस्थित आये।

2. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त **हरिनरायन** के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के संबंध में अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अंतिम आख्या के संदर्भ में वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया, जिस पर निरीक्षण के समय टीम में मौजूद सदस्य **जे०ई० रामायन प्रसाद** दिनांक–14.03.2026 को न्यायालय में उपस्थित आये तथा प्रार्थना पत्र कागज सं०–9 ख प्रस्तुत करते हुए उक्त प्रकरण में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में वादी मुकदमा द्वारा कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया है तथा इसी आशय का पृष्ठांकन फाइनल रिपोर्ट के पुश्त पृष्ठ पर भी किया गया है।

4. ऐसी दशा में मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

5. सम्बन्धित प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

<u>दिनांक–14.03.2026</u>

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. Code- UP 6336

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.14 16:29:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court